

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.25(01)2014-15/तक./प्रमुवसं/1210-34

दिनांक 02.09.2014

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.), राजस्थान, जयपुर।
 अति० मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज., जयपुर।
 परियोजना निदेशक, राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-II, राज., जयपुर।
 अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण/एनटीएफपी, राज०, जयपुर।
 मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर।
 मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
 मुख्य वन संरक्षक, वन वर्धन/विभागीय कार्य/बनास नदी परियोजना, जयपुर/
 परियोजनाएँ, भू-संरक्षण, वन विभाग, कोटा।
 वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर/सरिस्का मु० अलवर।
 उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज., जयपुर।

विषय:-आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आय-व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित अनुमान (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में) विभाग के लिए स्वीकृत टेलीफोन तथा मोबाईल का विवरण (प्रपत्र-2 में) अद्यतन करने के संबंध में।

प्रसंग:-वित्त विभाग का बजट परिपत्र क्रमांक एफ. 4(38)वित्त-1(1)आ.व्यय/2014 दिनांक 28.08.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक बजट परिपत्र (बेवसाईट पर उपलब्ध) के अनुसार विभाग के लिए स्वीकृत टेलीफोन तथा मोबाईल का विवरण (प्रपत्र-2 में) ऑनलाइन करते हुए हॉर्ड-कापी में आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयों की संकलित सूचनाएँ तत्काल भिजवावें। अधीनस्थ कार्यालयों से सीधे इस कार्यालय को प्राप्त सूचनाएँ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगी एवं इस कार्यालय स्तर से ऑनलाईन भी नहीं की जावेगी।

राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार विभाग के लिए स्वीकृत टेलीफोन तथा मोबाईल का विवरण (प्रपत्र-2 में) की संकलित सूचना इस कार्यालय द्वारा बी.एफ.सी. में व्यक्तिशः निर्धारित अवधि में प्रस्तुत की जानी है, अतः अनुरोध है कि वॉछित सूचना (प्रपत्र-2 में) ऑनलाइन (IFMS) करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता के Fax No. 141-22279 87 पर एवं E-Mail PCCFRJ@REDIFFMAIL.COM पर दिनांक 15.09.2014 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न: उक्तानुसार

भव दी य,



(वीरेन्द्र सिंह),

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
 राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र-2

विभाग के लिए स्वीकृत टेलीफोन तथा मोबाइल का विवरण

विभाग का नाम.....

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	कार्यालय का नाम	पद नाम	टेलीफोनों की संख्या		
					कार्यालय	निवास	मोबाइल
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट: 1. ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए कॉलम 2 में बजट शीर्ष भरना होगा। शेष कॉलम की सूचना विभागों द्वारा पूर्व में प्रविष्टि की गई सूचना के आधार पर स्वतः ही इस प्रपत्र में दर्शित होगी जिसे संबंधित विभागों के द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है।

2. कॉलम 3 में आयोजना (Plan) के अन्तर्गत प्रविष्टि करते समय कॉलम संख्या 6, 7 व 8 में स्वीकृत टेलीफोनों की संख्या में राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत टेलीफोनों की संख्या को भी सम्मिलित किया जावे। साथ ही, कॉलम 3 में राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता का चयन करने पर इन संख्याओं को पृथक से भी दर्शाया जावे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाँच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र-3

विभाग में उपलब्ध कम्प्यूटर्स एवं किराए पर लिए गए कम्प्यूटर्स की सूचना

विभाग का नाम.....

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	कार्यालय का नाम	विभागीय		किराए पर लिए गए कम्प्यूटर		
				कम्प्यूटर (संख्या)	प्रिन्टर (संख्या)	मशीन विट मैन (संख्या)	केवल मशीन (संख्या)	वार्षिक भार (रुपये सहस्र में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट: 1. ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए कॉलम-2 में बजट शीर्ष अंकित करना होगा। कॉलम-3 व 4 में चयन किया जाना है। विभाग के वे कार्यालय स्वतः दिखाए जाएंगे जिन्हें विभाग पहले से मेष कर चुके हैं। कॉलम 5 व 6 की सूचना विभागों द्वारा पूर्व में प्रविष्टि की गई सूचना के आधार पर स्वतः ही इस प्रपत्र में दर्शित होगी जिसे संबंधित विभागों के द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है। शेष कॉलम 7 से 9 में सूचना की प्रविष्टि करनी होगी।

2. कॉलम संख्या 3 में 'आयोजना' का चयन करने पर 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' से संबंधित विवरण भी निर्धारित कॉलम में सम्मिलित किया जावे। साथ ही, कॉलम 3 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर इन संख्याओं को पृथक से भी दर्शाया जावे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाँच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.24(01)2014-15/तक./प्रमुखसं/1185-1209
निमित्त,

दिनांक 02.09.2014

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.), राजस्थान, जयपुर।
अति० मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज., जयपुर।
परियोजना निदेशक, राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-II, राज., जयपुर।
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण/एनटीएफपी, राज०, जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर।
मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
मुख्य वन संरक्षक, वन तर्धन/विभागीय कार्य/बनास नदी परियोजना, जयपुर/
परियोजनाएँ, भू-संरक्षण, वन विभाग, कोटा।
वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर/सरिस्का मु० अलवर।
उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज., जयपुर।

विषय:-आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आय-व्यय अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित अनुमान (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में) वाहनों (प्रपत्र-4 (अ) व 4 (ब) में) संबंधी विवरण अद्यतन करने के संबंध में।

प्रसंग:-वित्त विभाग का बजट परिपत्र क्रमांक एफ. 4(38)वित्त-1(1)आ.व्यय/2014 दिनांक 28.08.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक बजट परिपत्र (बेवसाईट पर उपलब्ध) के क्रम में अनुरोध है कि वाहनों (प्रपत्र-4(अ) व (ब) में) (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में) ऑनलाइन करते हुए हॉर्ड-कापी में आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयों की संकलित सूचनाएँ तत्काल भिजवावें। अधीनस्थ कार्यालयों से सीधे ही इस कार्यालय को प्राप्त सूचनाएँ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगी एवं इस कार्यालय स्तर से ऑनलाईन भी नहीं की जावेगी।

इसी क्रम में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार वाहनों की संकलित सूचना इस कार्यालय द्वारा बी.एफ.सी. में व्यक्तिशः निर्धारित अवधि में प्रस्तुत की जानी है, अतः अनुरोध है कि प्रपत्र-4-(अ) विभाग में उपलब्ध वाहनों एवं प्रपत्र-4-(ब) विभाग द्वारा किराए पर लिए गए वाहनों की सूची ऑनलाइन (IFMS) करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता के Fax No. 141-2227987 पर एवं E-Mail PCCFRJ@REDIFFMAIL.COM पर दिनांक 15.09.2014 तक अवश्य भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न: उक्तानुसार

भ व दी य,


(वीरेन्द्र सिंह),

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र-4 (अ)

विभाग में उपलब्ध वाहनों की सूची

कार्य-कलाप/कार्यालय वाहन

विभाग का नाम.....

क्रम संख्या	लेख का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	कार्यालय का नाम	पद नाम	वाहनों का विवरण		
					वाहन का प्रकार - जीप/ कार / अन्य	रजिस्ट्रेशन संख्या	क्रय का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट: (1) 'कार्यालय वाहन' व 'कार्य-कलाप वाहन' की दोनों श्रेणियों में यही प्रपत्र भरा जाना है। अतः कार्यालय वाहन व कार्य-कलाप वाहन का क्रमशः चयन कर इस प्रपत्र में सूचना अंकित करें।
 (2) अगर पूल का वाहन है तो पदनाम (कॉलम 5) में विभागाध्यक्ष (MOD) का पदनाम सिलेक्ट करें। कार्यकलाप वाहनों की श्रेणी में अधिकारी के पदनाम के भरने की आवश्यकता नहीं है।
 (3) ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए कॉलम-2 में बजट शीर्ष अंकित करना होगा। कॉलम संख्या 3, 4 व 5 में चयन किया जाना है। शेष कॉलम में सूचना विभागों द्वारा पूर्व में प्रविष्टि की गई सूचना के आधार पर स्वतः ही इस प्रपत्र में दर्शित होगी जिसे संबंधित विभागों के द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है।
 (4) कॉलम संख्या 3 में 'आयोजना' का चयन करने पर 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' से संबंधित विवरण भी निर्धारित कॉलम में सम्मिलित किया जावे। साथ ही, कॉलम 3 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर इन संख्याओं को पृथक से भी दर्शाया जावे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाँच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र-4 (ब)

विभाग द्वारा किराए पर लिए गए वाहनों की सूची

कार्य-कलाप/कार्यालय वाहन

विभाग का नाम.....

क्रम संख्या	लेख का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	कार्यालय का नाम	वाहनों का विवरण		
				वाहन का प्रकार - जीप / कार / अन्य	कुल संख्या	पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये सहस्र में)
1	2	3	4	5	6	7

2

नोट: 1. ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए कॉलम-2 में बजट शीर्ष अंकित करना होगा, कॉलम संख्या 3 व 4 में चयन के आधार पर सूचना उपलब्ध रहेगी। शेष कॉलम में सूचना विभागों द्वारा पूर्व में प्रविष्टि की गई सूचना के आधार पर स्वतः ही इस प्रपत्र में दर्शित होगी जिसे संबंधित विभागों के द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है।
 2. कॉलम संख्या 3 में 'आयोजना' का चयन करने पर 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' से संबंधित विवरण भी निर्धारित कॉलम में सम्मिलित किया जावे। साथ ही, कॉलम 3 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर इन संख्याओं को पृथक से भी दर्शाया जावे।
 प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाँच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांक प. 15(01)2014 / कार्मिक-स्ट्रेथ / प्रमुवसं / 8910-35 दिनांक: 2-9-2014
निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान जयपुर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक टी0आर0आर0ई0., राजस्थान जयपुर।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, जयपुर।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता योजना, राजस्थान जयपुर।
परियोजना निदेशक, राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-11, राजस्थान जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर/जयपुर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर।
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर/वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव कोटा/
वन्यजीव उदयपुर/वन्यजीव भरतपुर।
मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन, जयपुर/विभागीय कार्य, जयपुर/बनास नदी परियोजना,
जयपुर/परियोजनाए, भू-संरक्षण, वन विभाग, कोटा।
वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक बाघ परि. सवाईमाधोपुर/सरिस्का मु0 अलवर।
उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।

विषय:- बजट अनुमान वर्ष 2015-2016 के लिए आय-व्यय के अनुमान
तथा चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए संशोधित अनुमान
(एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में) नियमित, स्वीकृत, कार्यरत
एवं रिक्त पदों का विवरण अद्यतन करने के संबंध में।
प्रसंग:- वित्तीय विभाग का बजट परिपत्र क्रमांक एफ. 4(38) वित्त-1(1)
आ.व्यय/2014 दिनांक 28.08.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक परिपत्र का अवलोकन करें। उक्त
परिपत्र में दिए गए निर्देशानुसार सूचना तत्काल ऑनलाइन करते हुए हॉर्ड-कॉपी में सूचनाएँ
भिजवाना सुनिश्चित करें।

अतः राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार निम्न सारणी अनुसार आपके संभाग से
संबंधित संकलित सूचना तैयार की जाकर ऑनलाइन (IFMS) करते हुए अति0 प्रधान मुख्य
वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान जयपुर को FAX से एवं Email **PCCFRJ**
@Rediffmail.com पर दिनांक **08.09.2014** तक भिजवाना सुनिश्चित करावें, ताकि विभाग की
संकलित सूचना राज्य सरकार को भिजवाई जा सकें। कृपया इसे प्राथमिकता दें।

1	प्रपत्र-1-अ	नियमित स्वीकृत पदों का विवरण।
2	प्रपत्र-1-ब	स्वीकृत पदों के विरुद्ध विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण।
3	प्रपत्र-1-स	विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण (स्वीकृत पदों के अतिरिक्त)।

संलग्न:- उक्तानुसार प्रपत्र

Email- **PCCFRJ@Rediffmail.com**

भवदीय

(वीरेन्द्र सिंह)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान जयपुर

दिनांक:

क्रमांक प. 15(01)2014 / कार्मिक-स्ट्रेथ / प्रमुवसं /

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय की वांछित सूचना
उक्त निर्धारित प्रपत्र में दिनांक **08.09.2014** तक इस कार्यालय में FAX से एवं Email
edpforest jaipur@yahoo.in पर भिजवाना सुनिश्चित करावें:-

समस्त उप वन संरक्षक/भू-संरक्षण अधिकारी/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/कार्य आयोजना
अधिकारी/वन बंदोबस्त अधिकारीगण।

(ए.बी. रामटेके)

मुख्य वन संरक्षक, एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र-1

(अ) नियमित / कार्य-प्रभारित स्वीकृत पदों का विवरण

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ गुप शीर्ष	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	पद नाम	ग्रेड पे तथा ग्रेड पे संख्या	वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या	नियमित कार्यरत कर्मचारी		रिक्त पदों की संख्या [6-(7+8)]
						1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त	1 जनवरी, 2004 तथा उसके पश्चात नियुक्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विभाग का नाम.....

नोट:

1. स्वीकृत पदों की प्रविष्टि करते समय नियमित / कार्य-प्रभारित में से चयन करें।
2. ऑनलाइन प्रविष्टि (entry) के लिए कॉलम 2 के लिए बजट शीर्ष भरना होगा तथा कॉलम 7 व 8 की सूचना की प्रविष्टि करना अनिवार्य है। शेष कॉलम की सूचना विभागों द्वारा पूर्व में प्रविष्टि की गई सूचना के आधार पर स्वतः ही इस प्रपत्र में दर्शित होगी। कॉलम 3 में 'आयोजना' का घयन करने पर कॉलम संख्या 6 में 'आयोजना' तथा 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर कॉलम संख्या 6 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' में स्वीकृत पदों की संख्या भी पृथक से दर्शित होगी जिसे संबंधित विभागों के द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है।
3. स्वीकृत स्टाफ के वे पदनाम ही दर्शाए जाएं जो कि संबंधित सेवा नियम तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में अंकित हैं। इस विवरण की सत्यता की जाँच कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र देते हुए की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि पदों के संदर्भ में उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाँच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

(ब) स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध विभाग में कार्यरत अन्य कर्मिकों का विवरण

कार्यालय का नाम.....

विभाग का नाम.....

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष- मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष/ युप शीर्ष	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	पद नाम	ग्रेड पे	रिक्त पदों की संख्या	तदर्थ अस्थाई नियुक्ति (संख्या)	औसत प्रति व्यक्ति माह व्यय (रुपयों में)	पुनर्नियुक्ति (संख्या)	औसत प्रति व्यक्ति माह व्यय (रुपयों में)	एजेंसी के माध्यम से (संख्या)	औसत प्रति व्यक्ति माह व्यय (रुपयों में)	प्रत्यक्ष संविदा (संख्या)	औसत प्रति व्यक्ति माह व्यय (रुपयों में)	कार्मिक विभाग के परिपत्र अनुसार (संख्या)	औसत प्रति व्यक्ति माह व्यय (रुपयों में)	अन्य (संख्या)	औसत प्रति व्यक्ति माह व्यय (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

नोट:- 1. (कॉलम 2) ऑनलाइन प्रविष्टि के समक्ष उन्हीं बजट शीर्ष में प्रविष्टि सम्भव होगी जो प्रपत्र 1(अ) में अंकित किए गए हैं। कॉलम 3, 4, 5 व 6 में सूचना एवन के आधार पर स्वतः उपलब्ध होगी। शेष सभी कॉलम में सूचना की प्रविष्टि करनी होगी।

- कॉलम संख्या 3 में 'आयोजना' का चयन करने पर कॉलम संख्या 6 में राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या को भी सम्मिलित किया जावे। कॉलम संख्या 3 में 'राज्य आयोजना' के लिए केन्द्रीय सहायता का चयन करने पर कॉलम संख्या 6 में राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या को दर्शाया जावे।
- स्वीकृत स्टाफ के वे पदनाम ही दर्शाए जाएं जो कि संबंधित सेवा नियम तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में अंकित हैं। इस विवरण की सत्यता की जाँच कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र देते हुए की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि पदों के संदर्भ में उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाँच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

(स) विभाग में कार्यरत अन्य कर्मिकों का विवरण (स्वीकृत पदों के अतिरिक्त)

कार्यालय का नाम.....

विभाग का नाम.....

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष/ युप शीर्ष	लेखे का शीर्ष -	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	पद नाम	संख्या	वार्षिक वित्तीय भार (रुपये सहस्र में)
1	2	3	4	5	6	

नोट:

(1) ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए कॉलम 2 की प्रविष्टियां उन्हीं शीर्षों के लिए होंगी जो विभाग के बजट नियंत्रण अधिकारी से संचित हैं।

(2) कॉलम संख्या 3 में 'आयोजना' का चयन करने पर कॉलम संख्या 5 व 6 में राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत संख्या एवं वार्षिक वित्तीय भार को भी सम्मिलित किया जावे। इसी प्रकार कॉलम संख्या 3 में राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता का चयन करने पर कॉलम संख्या 5 व 6 में राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत संख्या एवं वार्षिक वित्तीय भार को दर्शित किया जावे।

(3) उपलब्ध करवाए गए विवरण की सत्यता की जाँच कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र देते हुए की जायेगी। प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाँच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष